नम्बर व तार
हकाम जो इ
तामील में ज

[पीठासीन] अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

[मु]कदमा नं0 1/103/14 निर्णय दिनांक : 15.05.2018

उनवान

1. मुकन्दलाल पुत्र श्री मुन्शी जाति ओड निवासी ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर।

.............................वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र स्व0 मुन्शीलाल
2. औमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मुन्शीलाल
3. रमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मुन्शीलाल
4. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 श्री मुन्शीलाल जातियान ओड निवासियान ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर।

.......................असल प्रतिवादीगण

5. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ तहसील रामगढ।

...................तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

प्रारम्भिक निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 53, 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 138 रकबा 0.61, 1685 रकबा 0.12, 1687 रकबा 0.15, 1706 रकबा 0.01, 1707 रकबा 0.57, 1708 रकबा 0.12, 1709 रकबा 0.05, 1712 रकबा 0.76, 1782 रकबा 0.07, 1783 रकबा 0.21, 1784 रकबा 0.18 हैक्ट0 किता 11 रकबा 2.83 हैक्ट0 वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 सगे भाई है जिनके पिता श्री मुन्शीलाल का स्वर्गवास वर्ष 2009 में हो गया था। वादी के पिता श्री मुन्शी लाल विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार थे। जिनके स्वर्गवास के बाद उनकी विरासत वादी, असल प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 एवं वादी की माता सुखदेवी के हक में दर्ज हुई थी जबकि विरासत इन्तकाल खुलने से पहले ही वादी की बहिनो मानकौर, फूलवती, कमला, मिश्रो व कोयल ने वादी, असल प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 व वादी की माता सुखदेवी के हक में अपने हिस्से का हक त्याग दिनांक 05.05.2010 को कर दिया था। इसके बाद वादी की माता सुखदेवी का स्वर्गवास वर्ष 2013 में हो गया। इस तरह विवादित आराजी में वादी 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 प्रत्येक 1/5 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है। वादी व असल प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 अपने –अपने हिस्से अनुसार उपरोक्त आराजी पर मुश्तर्का में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु कुछ समय से असल प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 के मन में बदयान्ति आ गई है और विवादित आराजी पर आये

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

अधिनियम बाबत आराजीयात वाके ग्राम ललावडी तहसील

रामगढ जिला अलवर राज0

दिन विवाद की स्थिति पैदा होती है। उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अबट भूमि है। जिसका आज दिन तक तकासमा नही हुआ है। इसलिए विवादित आराजी का तकासमा कराया जाकर खाता अलग कराया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तामिल बावजूद उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ललावण्डी में दिनांक 15.05.2018 को पेश हुई। उभयपक्षकारान अनुपस्थित।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ललावण्डी में दिनांक 15.05.2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2069–72 ग्राम ललावण्डी का अवलोकन किया। वादी का वाद तकसीम आराजी का है। पक्षकारान संयुक्त खातेदार है। विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके अनुसार विभाजन प्रस्ताव अच्छी में अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर तकसीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी इस आश्य के साथ स्वीकार किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 138 रकबा 0.61, 1685 रकबा 0.12, 1687 रकबा 0.15, 1706 रकबा 0.01, 1707 रकबा 0.57, 1708 रकबा 0.12, 1709 रकबा 0.05, 1712 रकबा 0.76, 1782 रकबा 0.07, 1783 रकबा 0.21, 1784 रकबा 0.18 हैक्ट0 किता 11 रकबा 2.83 हैक्ट0 वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर में वादनी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 21.08.2018 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादी व प्रतिवादीगण एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जाता है। इसी प्रकार प्रारम्भिक पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत ललावण्डी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी रामगढ़

अधिनियम बाबत आराजीयात वाके ग्राम ललावंडी तहसील

रामगढ जिला अलवर राज0

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ललावण्डी)
पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस
मुकदमा नं0 1 / 103 / 14 निर्णय दिनांक : 15.05.2018

उनवान

1. मुकन्दलाल पुत्र श्री मुन्शी जाति ओड निवासी ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर।
..............................वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र स्व0 मुन्शीलाल
2. औमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मुन्शीलाल
3. रमेश कुमार पुत्र स्व0 श्री मुन्शीलाल
4. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 श्री मुन्शीलाल जातियान ओड निवासियान ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर।

........................असल प्रतिवादीगण

5. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ तहसील रामगढ।
....................तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी इस आश्य के साथ स्वीकार किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 138 रकबा 0.61, 1685 रकबा 0.12, 1687 रकबा 0.15, 1706 रकबा 0.01, 1707 रकबा 0.57, 1708 रकबा 0.12, 1709 रकबा 0.05, 1712 रकबा 0.76, 1782 रकबा 0.07, 1783 रकबा 0.21, 1784 रकबा 0.18 हैक्ट0 किता 11 रकबा 2.83 हैक्ट0 वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर में वादनी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार व मौके के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कर प्रारम्भिक डिक्री विभाजन अनुसार तहसीलदार रामगढ प्रस्ताव तैयार कर आगामी दिनांक 21.08.2018 से पूर्व भिजवाये। बाद विभाजन वादी व प्रतिवादीगण एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत नही करेगे, इस कदर पाबन्द किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)
उप खण्ड अधिकारी रामगढ़

अधिनियम बाबत आराजीयात वाके ग्राम ललावडी तहसील

रामगढ जिला अलवर राज0